रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय नगर निगम, लखनऊ

दिनांक 16 अप्रैल, 2026

सं0 03/न0आ0/लाइसेंस/2026–27–निम्न विवरण में क्रम सं0–01 से 11 तक उल्लिखित मदों में पूर्व से अनुज्ञप्ति शुल्क उदगृहण एवं संग्रहण हेतु प्रभावी उपविधि में निर्धारित एवं समय–समय पर पुनरीक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क की धनराशि को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 (41) व 546 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मा0 सदन नगर निगम लखनऊ की बैठक दिनांक 30.08.2024 स्थगित बैठक दिनांक 02.09.2024 में संकल्प सं0–75 द्वारा कुल 10 मदों पर पूर्व निर्धारित दरों का पुनरीक्षण करने तथा मा0 सदन की बैठक दिनांक 09.09.2025 में संकल्प सं0–137 माडल शाप की पूर्व निर्धारित दरों का पुनरीक्षण करते हुये प्रस्तावित शुल्क की धनराशि निर्धारित किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''अमर उजाला'' में दिनांक 14.12.2025 को प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों को संकलित कर मा0 सदन की बैठक दिनांक 27.01.2026 में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। मा0 सदन द्वारा संकल्प सं0–174 के अन्तर्गत आपत्तियों का निस्तारण करते हुये कुल 11 मदों की प्रस्तावित दरों को निम्न संशोधनों सहित अन्तिम रूप से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

1. मा0 सदन की बैठक दिनांक 27.01.2026 द्वारा संकल्प संख्या–174 के द्वारा निम्न संषोधनों सहित अन्तिम रूप से निर्धारित दरें :–

क्र0 सं0	नगर निगम द्वारा प्रस्तावित मदवार	नगर निगम द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित दरें (वार्षिक)
1	**2**	**3**
		रूपये
1	नर्सिंग होम/प्रसूति गृह/प्राइवेट अस्पताल 50 बेड तक	15000.00
2	नर्सिंग होम/प्रसूति गृह/प्राइवेट अस्पताल 51 बेड से 100 बेड तक	30000.00
3	नर्सिंग होम/प्रसूति गृह/प्राइवेट अस्पताल 101 बेड से 250 बेड तक	40000.00
4	नर्सिंग होम/प्रसूति गृह/प्राइवेट अस्पताल 251 बेड से 500 बेड तक	70000.00
5	पैथालॉजी (सैम्पल कलेक्शन)	10000.00
6	डायग्नोस्टिक सेन्टर/एक्सरे/अल्ट्रासाउण्ड/ब्लड बैंक	20000.00
7	आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक क्लीनिक	8000.00
8	होटल गेस्ट हाउस 20 बेड तक	8000.00
9	होटल गेस्ट हाउस 20 बेड से ऊपर	10000.00
10	रेस्टोरेन्ट/जलपान गृह/ईटिंग हाउस	6000.00
11	माडल शाप	85000.00

उक्त के सम्बन्ध में नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु लाइसेंस शुल्क की दरों में वृद्धि करने के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 जून तक बिना विलम्ब शुल्क जमा तथा उसके पश्चात लाइसेन्स हेतु आवेदन करने पर अर्थदण्ड विलम्ब शुल्क पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार वसूल किया जाना प्रस्तावित है।

(ह0) अस्पष्ट,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

कार्यालय नगर निगम, लखनऊ

दिनांक 16 अप्रैल, 2026

सं0 04/न0आ0/लाइसेंस/2026–27–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2, सन् 1959) की धारा 438, 451, 452, 541, 544 की उपधारा (451) तथा उपधारा (452) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके लखनऊ नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा में संचालित की जाने वाली कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु मा0 सदन की बैठक दिनांक 09.09.2025 में स्वीकृत संकल्प सं0–137 द्वारा कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) पर नियंत्रित उपविधि–2026 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''हिन्दुस्तान'' में दिनांक 14.12.2025 को प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं। निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों को संकलित कर मा0 सदन की बैठक दिनांक 27.01.2026 में प्रस्ताव विचारार्थ

प्रस्तुत किया गया था। मा0 सदन द्वारा संकल्प सं0–175 के अन्तर्गत आपत्तियों का निस्तारण करते हुये प्रस्तावित उपविधि को अन्तिम रूप से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

मा0 सदन की बैठक दिनांक 27.01.2026 में संकल्प संख्या–175 द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत उपविधि–2026

नगर निगम, लखनऊ

फरवरी 2026 ई0

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2, सन् 1959) की धारा 438, 451, 452, 541, 544 की उपधारा (451) तथा उपधारा (452) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके लखनऊ नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा में संचालित की जाने वाली कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु मा0 सदन की बैठक दिनांक 09.09.2025 में स्वीकृत संकल्प सं0–137 द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, जिसके क्रम में नगर निगम लखनऊ उपविधि बनाने का प्रस्ताव करता है, जो निम्नानुसार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 543 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये एत्तद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

लखनऊ नगर निगम कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) पर नियंत्रण उपविधि, 2026

1– संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि ''लखनऊ नगर निगम कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) पर नियंत्रण उपविधि 2026'' कहलायेगी।

(2) यह नगर निगम की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें–(1) विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में––

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–2 सन् 1959) से है।

(ख) ''अनुज्ञप्ति व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) चलाये जाने हेतु नगर निगम के नगर आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।

(ग) ''अनुज्ञा पत्र'' का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा पत्र से है।

(ड़) ''नगर निगम'' का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम से है।

(च) ''वर्ष'' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत होगा।

(2) ऐस शब्दों और पदों का जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु उपविधि में प्रयुक्त है वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

3–प्रतिषेध–(I) कोई भी व्यक्ति नगर निगम की सीमा में किसी भी स्थान पर किसी कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) का संचालन नहीं करेगा या करायेगा, जब तक उक्त प्रतिष्ठान के यथास्थिति स्वामी अथवा संचालक द्वारा इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गई हो।

(II) नगर निगम की सीमा में किसी भी स्थान पर नगर आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना न तो किसी भवन या परिसर का कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) के रूप में प्रयोग किया जायेगा और न ही किसी नये प्रतिष्ठान का निर्माण किया जायेगा।

(III) समस्त हितबद्व पक्ष को अन्य विभागों से सम्बन्धित विभाग में प्रभावी व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों से अनुज्ञप्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। अन्यथा की दशा में नगर निगम द्वारा प्रथम दृष्टया ही आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक द्वारा जमा किया गया शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

(IV) यदि किसी हितबद्व पक्ष के द्वारा नगर निगम के द्वारा सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को नोटिस दिये जाने के पश्चात भी यदि नगर निगम की वेबसाइट https://e-nagarsewaup.gov.in पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन कर अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान नगर निगम कोष में नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में सम्पत्ति करों के वसूली हेतु उपबन्धित रीति से किया जायेगा। जिसमें धारा 504 से 514 तथा 516 से 519 तक के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार वसूल की जायेगी, मानो वह कोई कर हो।

(V) साथ ही नगर निगम के द्वारा सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को नोटिस दिये जाने के पश्चात भी यदि लाइसेंस नहीं बनवाये जाते है तो आगामी वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित प्रतिष्ठानों से निर्धारित लाइसेंस शुल्क की धनराषि भू-राजस्व (आर0सी0) की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

4– आवेदन पत्र का परीक्षण एवं जांच–वेबसाइट https://e-nagarsewaup.gov.in के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर अनुज्ञा प्रदान करने के पूर्व नगर आयुक्त द्वारा सम्बन्धित प्रतिष्ठान यथा कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) चलाये जाने के स्थल और वाहनों के खड़े होने के लिये यथोचित स्थान यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न न होने, पर्यावरण प्रदूषित न होने व अन्य सुसंगत बिन्दुओं पर जांच करायेंगे और यदि कोई भी प्रदूषण निहित हो तो उस स्थिति में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी।

5–अनुज्ञा शुल्क और उसकी अवधि–प्रत्येक दृष्टि से पूर्णतयः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त नगर आयुक्त द्वारा आवेदक को नगर निगम सीमा में कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) का कार्य करने हेतु एक वर्ष के लिये इस उपबन्ध पर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय लाइसेंस निलम्बित या निरस्त कर दिया जाये। नगर निगम द्वारा पूर्व से विभिन्न मदों के लिये लागू अनुज्ञप्ति शुल्क के अतिरिक्त प्रस्तावित मद व अनुज्ञप्ति शुल्क/नवीनीकरण शुल्क का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	अनुज्ञा का नाम	अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क
1	2	3
1	कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर)	75000/–

6–अनुज्ञा पर विलम्ब शुल्क–प्रत्येक वित्तीय वर्ष माह अप्रैल से जून तक अनुज्ञा जमा न किये जाने की दशा में विलम्ब शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–

(क) दिनांक 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक 5 प्रतिशत।

(ख) दिनांक 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक 10 प्रतिशत।

(ग) दिनांक 01 जनवरी से 31 मार्च तक 15 प्रतिशत।

7–अनुज्ञा का नवीनीकरण– (क) अनुज्ञा 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिये होगी और वर्ष में किसी भी माह में अनुज्ञा प्रदत्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

(ख) अनुज्ञा का नवीनीकरण नगर आयुक्त के पूर्णतयः संतुष्ट हो जाने पर ही किया जायेगा।

(ग) नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अप्रैल से जून मास तक प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नगर निगम कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये गये होने की रसीद संलग्न की जायेगी। 30 जून के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क जमा करने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क देय होगा जो आवेदन पत्र के साथ ही जमा किया जायेगा।

8–अनुज्ञा का निलम्बन/निरस्तीकरण–यदि किसी भी अनुज्ञाधारक द्वारा किसी समय उपर्युक्त शर्तों सहित लाइसेंस में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा उसके किसी भी कार्य का उल्लंघन करता है अथवा उसके किसी भी कार्य से यातायात में अवरोध, पर्यावरण प्रदूषण अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रदूषण होना सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में उस अनुज्ञाधारक को अनुज्ञा का बचाव का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् निलम्बित कर दी जायेगी और अपराध सिद्ध हो जाने पर ऐसी अनुज्ञा सदा के लिये निरस्त कर दी जायेगी।

9–निषेध–अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरान्त उक्त अनुज्ञा के अधीन कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) का कार्य/व्यवसाय नगर निगम सीमा में जारी नहीं रखा जा सकेगा।

10–शास्ति–अधिनियम की धारा 550 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके लखनऊ नगर निगम एतद्द्वारा यह निर्देश देते हैं कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माना जो रू–10,000.00 तक हो सकता है और उल्लंघन की दशा में जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रू–500.00 प्रतिदिन हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(ह0) अस्पष्ट,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, उन्नाव

11 फरवरी, 2025 ई0

सं0 4048/अधि0अधि0/2024-25/5952–नगर पालिका परिषद उन्नाव द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 एवं उसमें दी गयी उपधाराओं तथा शासन समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिये फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) सफाई कर उपविधि, 2024 उपविधि बनाई गयी हैं। जिसका प्रकाशन कार्यालय पत्रांक 690/अधि0अधि0/2024-25/690 दिनांक 28 नवम्बर, 2024 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला व दैनिक उन्नाव टाइम्स में प्रकाशित कराकर आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी। जिसका निस्तारण करते हुये निम्नानुसार उपविधि प्रख्यापित की जाती है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

1– यह उपविधि नगर पालिका परिषद उन्नाव के ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामला हेतु फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) सफाई कर उपविधि, 2024 के नाम से जानी जायेगी।